

संचालन अनुमति की जाँचसूची	
क्रम संख्या	विवरण
ए	जल अधिनियम के तहत विधिवत भरा हुआ फार्म नंबर : 13* ।
बी	वायु अधिनियम के तहत विधिवत भरा हुआ फार्म नंबर : 1*।
सी	जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के तहत सहमति शुल्क का सिलवासा या दमण अदायगी वाला प्रदूषण नियंत्रण समिति के नाम से बना डिमांड ड्राफ्ट । #
डी	भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी सहित मूल्यह्रास के बिना पूंजी निवेश की जानकारी 20 रुपए के स्टैम्प पेपर का नोटरी शपथ पत्र दे ।
ई	जल अधिनियम के तहत जारी “स्थापना सहमति” आदेश की प्रतिलिपि।
एफ	वायु अधिनियम के तहत जारी “स्थापना सहमति” आदेश की प्रतिलिपि।
जी	जल एवं वायु प्रदूषण के सोधन के लिए स्थापित किए जाने बहिः स्त्रावी उपचार संयंत्र एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के विवरण की प्रतिलिपि एवं आरेखण ।
एच	१. परिसंकटमय अपशिष्टों के संग्रहण/ ग्रहण/ अभिक्रियान्वयन/ परिवहन/ भंडारण व्ययन का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन (फार्म-1)। # # २. उद्योग विवरण पत्र प्रारूप (आईडीएसएफ)। ३. उद्योग के बारे में जानकारी वाली तख्ती का प्रारूप ।
आई	पुनर्विनिकरण प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग (संशोधन) नियम, 2003 के तहत प्लास्टिक बैग एवं कंटेनर के निर्माण के पंजीकरण के लिए फार्म-1 में आवेदन ।

ध्यान दें।

१. सहमति के निपटारे की समय सीमा 90 दिनों की है।
 २. सफ़ेद श्रेणी उद्योगों को वायु अधिनियम के तहत आवेदन देना जरूरी नहीं है । (क्रम सं. बी)
- * आवेदन फार्म भरते समय फार्म में कोई भी जगह खाली ना छोड़े और “परियोजना विवरण के अनुसार” एवं “जैसे पहले दिया था” या अन्य इसी तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें।
- # अधिसूचना नंबर पीसीसी/डीएमएन/13- iii/1999 दिनांक 03/05/1999 के अनुसूची-V के तहत डिमांड ड्राफ्ट द्वारा सहमती शुल्क भुगतान की संरचना भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी सहित मूल्यह्रास की गई है।
- # # परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, संभालना एवं सीमा गतिविधि) नियम, 2008 को को देखें।